

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 2024/104

01. मालाराम पुत्र श्री जुगराम जाति ब्राह्मण निवासी सेराऊ हाल चक 17 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....प्रार्थी

01. हनुमानराम पुत्र श्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी जोलियांवाली तहसील व जिला जोधपुर हाल चक 17 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
02. श्रवण कुमार पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 24 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
03. चन्दकला पुत्री लिच्छी राम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल चक 14 बी.डी. आबादी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
04. रामलाल पुत्र लिच्छी राम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल चक 14 बी.डी. आबादी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
05. विद्यादेवी लिच्छी राम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल चक 14 बी.डी. आबादी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
06. शेलेंदर पुत्र लिच्छी राम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल चक 14 बी.डी. आबादी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
07. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: निर्णय :-

दिनांक :-17.04.26

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक नं. 17 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 93/63 के किला नं. 16 ता 25 में कुल 2.2889 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के नाम से एक अन्य भूमि जो की राजस्व तहसील खाजूवाला का चक नं. 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.1330 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के राजस्व तहसील खाजूवाला के चक नं. 93/63 की उक्त भूमि में कृषि डिग्गी बनी हुई है। उक्त डिग्गी से प्रार्थी अपनी भूमि चक 17 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 93/63 की भूमि व चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 की भूमि को सिंचित करता है व वर्तमान में मूंग व ग्वार की फसल का बिजान कर रखा है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 की भूमि को सिंचित करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की भूमि में से पाईप लाईन बिछानी पड़ती है व अप्रार्थीगण को असुविधा होने पर बार बार प्रार्थी को पाईप लाईन उठानी पड़ती है, जिससे प्रार्थी को भी बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/07 के किला नं. 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529-0.2529 है., 21/2, 22/2, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 0.2150-0.2150 है. कुल 6.1330 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक नं. 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 5, 6, 14 ता 18 प्रत्येक में 0.2529-0.2529 हैक्टेयर, 23/1, 24/2, 25/2 प्रत्येक में 0.2150-0.2150 है. कुल 2.4153 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक नं. 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 7 ता 9 प्रत्येक में 0.2529-0.2529 है., 10/2 में 0.2276 है., 11/1 में 0.2276 है., 12 में 0.2529 है., 13 में 0.2529 है., 19 में 0.2529 है., 20/1 में 0.2276 है., 21/2 में 0.1897 है., 22 में 0.2150 है. कुल 2.6849 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का 1/4-1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपनी भूमि चक 17 बी.डी. बी में बनी कृषि डिग्गी से चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 में भूमिगत पाईप स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/7 में कटानशुदा रास्ता किला नं. 21 ता 25 से चिपते हुए अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की भूमि चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 21, 22 कटानशुदा रास्ता किला नं. 21 ता 25 से चिपते हुए अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की भूमि चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 21, 22 कटानशुदा रास्ते के चिपते हुए अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि चक 17 बी.डी. ए के

मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 23 ता 25 कटानशुदा रास्ते के चिपते हुए प्रार्थी की भूमि चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 के किला नं. 21 से चिपता है। प्रार्थी को चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/07 व 113/15 के कटानशुदा रास्ते के चिपते 4 ईंच मोटी भूमिगत पाईप लाईन स्वीकृत की जाती हैं तो प्रार्थी को चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 की भूमि को सिंचित व पेयजल की व्यवस्था होने पर प्रार्थी को व राज्य सरकार को आबियाना में इजाफा होगा। प्रार्थी द्वारा चक 17 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 93/63 से चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 में अस्थाई पाईप लाईन लगाने से अप्रार्थीगण व प्रार्थी के बीच में बार बार विवाद होता है, इसलिए प्रार्थी की भूमि के लिये भूमिगत पाईप लाईन स्वीकृत की जाती है तो वाद विवाद से छुटकारा पाया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क व राजस्थान सरकार की यही मंशा है कि प्रत्येक जोत सिंचित हो व कोई अधिभारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिये किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर पाईप लाईन बिछाना चाहता है। प्रार्थी को उक्त पाईप लाईन स्वीकृत की जाती है तो प्रार्थी पाईप लाईन को कम से कम 3 फीट भूमिगत करते हुए अपने स्वयं के खर्चा से डालेगा, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को किसी भी प्रकार का उज्र व ऐतराज नहीं होगा इसलिए प्रार्थी उपरोक्त पाईप लाईन स्वीकृत करवाने का अधिकारी है, जिसमें अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं.113/7 व 113/15 के किला नं. 21 ता 25 कटानशुदा रास्ते के चिपते भूमिगत लाईन स्वीकृत करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थीगण गैरहाजिर होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/भू.अ./2025/146 दिनांक 20.01.2026 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार हल्का पटवारी 14 बी.डी. की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड आनलाईन जमाबन्दी के अनुसार चक 17 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 93/63 के किला नं. 16 ता 25 में कुल 2.2889 है। कृषि भूमि प्रार्थी मालाराम पुत्र जुगराम जाति ब्राह्मण सा0 सेराऊ तहसील रतनगढ़ पुख्ता आवंटी खातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रार्थी के नाम से चक 15 बी.डी. बी के मु.नं. 113/23 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.1330 है0 कृषि भूमि दर्ज है। प्रार्थी मु.नं. 93/63 में बनी डिग्गी से मु.नं. 113/23 में पाईपलाईन द्वारा सिंचाई करना चाहता है। चक 17 बी.डी. ए के मु.नं. 113/7 में किला नं. 1 ता 25 कुल 6.1330 है0 भूमि हनुमानराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल सा. जोलियावाली तहसील व जिला जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मु0नं0 113/15 के किला नं. 7 ता 13, 19 ता 22 में कुल 2.6049 है0 भूमि विधा देवी पत्नी लिच्छी राम, चन्द्रकला, रामलाल, शैलेन्द्र पुत्र-पुत्री लिच्छी राम जाति जाट सा0 ठाकरी तहसील रायसिंहनगर के नाम दर्ज है। इसी मु.नं. 113/15 के किला नं. 5,6,14 ता 18 , 23 ता 25 कुल 2.4153 है। भूमि श्रवण कुमार पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई सा0 24 बी0बी. तहसील पदमपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थगन आदि का नोट अंकित नहीं है। प्रार्थी मु.नं. 93/63 से मु.नं. 113/7,15 के किला नं. 21 ता 25 सड़क/रास्ता के चिपते हुए भूमिगत पाईप लाईन डालकर मु.नं. 113/23 में ले जाना चाहता है। रास्ते के पास वर्तमान में कोई निर्माण आदि नहीं है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमिगत पाईपलाईन नियमानुसार भूमि से 3 फीट नीचे नियमानुसार पाईपलाईन बिछाने की अनुमति दी जाती है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण की भूमि को पुनः उसी स्वरूप में सही करें जैसी पाईपलाईन बिछाने से पूर्व थी। तहसीलदार खाजूवाला को आदेशित किया जाता है कि यदि अप्रार्थीगण उक्त पाईपलाईन बिछाने हेतु सीमांकित या दर्शित लाईन नहीं देता है तो आप निकटतम रूट से पाईपलाईन बिछाने हेतु नियमानुसार सीमांकित करते हुवे, न्यायालय हाजा के आदेश की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल-दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)